न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 75/2018 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नी चम्पालाल जाति राव निवासी केसूली तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)		1. श्रीमती मंजू पत्नी खीमारामजी जाति सरगरा निवासी केसूली तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत केसूली जरिये सरपंच तहसील देसूरी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 25-11-19

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत केसूली तहसील देसूरी की मिसल संख्या 160/2008–09 संकल्प संख्या 02 दिनांक 08.08.2009 की पालना में जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक .... के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत केसूली का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थी को दिए गए नोटिस की प्रति पेश करते हुए No Instruction plead किया जोने से बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि गांव केसूली की आबादी भूमि में कुम्हारों के बास में प्रार्थियां के स्वामित्व व आधिपत्य का आवासीय मकान बाउण्ड्रीसुदा स्थित है। जिसके उत्तर व दक्षिण में आम रास्ता है, पूर्व में दरवाजा व रास्ता एवं कुम्हार समाजी/कूपाजी का प्लॉट, जो वर्तमान में भानाराम कुम्हार का है तथा पश्चिम में खालसा गली और उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 का प्लॉट था, जिस पर अब निर्माण किया जा रहा है। जिसका नजरी नक्शा संलग्न पत्रावली है। जिसमें 1, 2, 3 व 4 प्रार्थिया का मकान निर्मित है। जहां वह निवास करती है, शेष परिसर खुला भाग है तथा प्रार्थिया के मकान के पश्चिम की तरफ तीन रोशनदान तथा एक खिड़की रखी हुई है जो नजरी नक्शे अ, ब, स व द दर्शाई हुई है तथा इसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 45 भंवरलाल पुत्र हरलाल राव के नाम का ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 02.01.1974 द्वारा जारी सुदा है। भंवरलालजी ने पट्टा सुदा परिसर की वसीयत प्रार्थिया के पक्ष में अपने जीवन काल में ही कर दी थी। जिनकी मृत्यु दिनांक 15.01.1997 को हुई। उक्त परिसर की प्रार्थिया ही एक मात्र मालिक है। इसी परिसर में प्रार्थिया ने एक पक्का मकान बनाया था, तब प्रार्थिया के मकान के पश्चिम में गली थी तथा प्रार्थिया ने कुछ भूमि अपने हिस्से में से छोड़कर मकान निर्माण किया था तथा इस तरफ वेन्टीलेटर व रोशनदान पट्टा सुदा भूमि में ही रखे थे। जिससे हवा पानी व रोशनी प्रार्थिया के मकान में प्राप्त हो सके। मौके पर 2 वेन्टीलेटर आज भी लगे हुए है। एक वेन्टीलेटर अप्रार्थिया द्वारा जबरन निर्माण कार्य करवा कर बंद कर दिया है। इस संबंध में निषेधाज्ञा का वाद सिविल न्यायालय देसूरी में लंबित है। जिसमें कमीश्नर रिपोर्ट में प्रार्थिया के परिसर की दक्षिणी भुजा मौके पर पट्टे में वर्णित नाप से कम पाई गई। प्रार्थिया के परिसर के वर्ष 1974 में बने पट्टे के पुश्त पर नाप अंकित है। पश्चित में खालसा गली दर्शाई हुई है तथा बाद में रामा, नगा सरगरा का बाड़ा बताया हुआ है। रामा प्रार्थिया के ससुर है तथा भूखण्ड खाली पड़ा था। प्रार्थिया के ससुर का जो भूखण्ड था, उसका पट्टा बनाने का आवेदन बिना हस्ताक्षर के ही ग्राम पंचायत में पेश किया गया। इस प्रकार बिना हस्ताक्षर के आवेदन

जिला कलेक्टर, पाली

के आधार पर मिसल दर्ज की गई। प्रार्थना पत्र पर दिनांक भी अंकित नहीं है। पुश्तैनी रहवासी मकान का पट्टा बनाए जाने हेतु आवेदन पेश किया, उक्त आवेदन में किसी प्रकार का न तो नाप अंकित है, न ही निर्माण की स्थिति अंकित है, न ही भूखण्ड पर किसी प्रकार का मकान ही निर्मित था, तो पुश्तैनी मकान होने का तो प्रश्न ही नहीं था। इसके पूर्व में भंवरजी राव अर्थात प्रार्थिया दर्ज है, जबकि पूर्व में खालसा गली है। उसके बाद भंवरजी राव अर्थात प्रार्थिया का वसीयतकर्ता का परिसर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थिया के पश्चिमी तरफ और तथा अप्रार्थिया की पूर्वी तरफ की खालसा गली तथा साथ ही प्रार्थिया की ओर से छोड़े गए खुले भाग को अपना बताकर आवेदन अप्रार्थिया ने पेश किया है। जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होने के बावजूद भी 5 वर्षो बाद मिसल दर्ज की गई है। मिसल में नक्शा बनाए जाने, मौका निरीक्षक कमेटी को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए गए है, लेकिन निरीक्षण प्रपत्र में भूखण्ड के पड़ौस अंकित नहीं है। दिनांक अंकित नहीं है। किस प्रकार से भूमि का विक्रय कर पट्टा बनाया जावे। यह भी अंकित नहीं है। नक्शे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, न ही अप्रार्थिया अथवा अन्य किसी के हस्ताक्षर ही है। नक्शे में भी गली तथा उसके बाद भंवरलाल जी का मकान बताया गया है। आपत्ती इश्तिहार कहां, कब, किसके सामने चस्पा किया गय भी उसके पुश्त पर अंकित नहीं है। बयान किसके लिए है, न नाम है, न हस्ताक्षर है, न ही दिनांक है। इस प्रकार बयान भी विधि सम्मत नहीं लिए गए है। एक बयान के अलावा बयान नहीं लिए गए है। आदेशिका दिनांक 06.08.2009 की पालना में मंजू देवी का शपथ पत्र नहीं लिया गया, न दो स्वतंत्र गवाहों के बयान ही लिए गए है, न ही 200/– रूपये राजकोष में जमा कराने का उल्लेख है, फिर भी जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। बयान पर दिनांक 11.10.2009 अंकित है। जैर निगरानी मिसल में आदेश दिनांक 06.08.2009 को ही पारित कर दिया था। जबकि बाद में दिनांक 11.10.2009 को बयान लेकर संलग्न लगाना विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट में मकान के रोशनदान तथा छज्जों का उल्लेख नहीं किए जाने से यह स्पष्ट है कि वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया तथा वास्तविक स्थिति को मिसल पर पेश नहीं किया, इसलिए भी पट्टा व प्रस्ताव निरस्त योग्य है। प्रार्थिया की दक्षिणी भुजा 62 फिट थी, जो जिसमें 3–4 फिट गली खुली रखी थी तथा दक्षिण भुजा 58 फुट ही निर्माण कराया गया था, इस प्रकार गली व प्रार्थिया की भूमि मिलाकर 7–8 फिट खुली गली होनी चाहिए थी, जो नहीं है। अप्रार्थिया ने खालसा गली व प्रार्थिया की 3–4 फिट गली को मिला कर दक्षिण भुजा करीब 26 फुट की बताकर पट्टा प्राप्त किया जो विधि विरूद्ध तथा खालसा गली व प्रार्थिया द्वारा छोडी हुई गली को मिलाकर पट्टा प्राप्त किया, जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार के कृत्य से प्रार्थिया के खिडकी छज्जे बंद हो गए है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध जारी किया गया है। जिसे निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थिया को दिए जाकर **No Instruction Plead** करने से बहस नहीं सुनी गई एवं अप्रार्थिया के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर गुणावगुण पर एकतरफा निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्त प्रार्थिया की बहस सुनी गई तथा पत्रावली व ग्राम पंचायत का रेकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थिया के तथा कथित आवेदन पर मिसल कायम की गई, उस पर अप्रार्थिया के अथवा अन्य किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। भूमि पर अधिपत्य पुश्तैनी रहवासी बताया गया है। इस बाबत पंचायत की कोई जांच किया है या नहीं है तथा प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 1 व 2 खाली है, दिनांक नहीं लिखी है। ग्राम पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नहीं किया गया है। भूमि का नक्शा बना हुआ संलग्न मिसल है, जिस पर किसी भी नक्शा बनाने वालो के हस्ताक्षर नहीं है, न ही दिनांक है तथा निरीक्षक प्रपत्र की दिनांक अंकित नहीं है। आपत्ति इश्तिहार के पुश्त पर चस्पांगनी रिपोर्ट भी अंकित नहीं है। कहां–कहां चस्पा किया, किसके रूबरू चस्पा किया गया व कब किया गया, यह अंकित नहीं है। अंतिम आदेशिका अनुसार अप्रार्थिया मंजूदेवी का शपथपत्र नहीं लिया गया तथा दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान नहीं लिए गए है। एक बयान है जो किसके है उसके नाम, वल्दियत, जाति व उम्र नहीं लिखे गए है तथा उस पर बयान देने वालो के

जिला कलेक्टर, पाली

हस्ताक्षर अंकित नहीं है। बयान पर दिनांक 11.10.2009 तिथी अंकित है, जबकि अंतिम आदेशिका इससे दो माह पूर्व दिनांक 06.08.2009 को लिखी गई अर्थात बयान बाद में संलग्न किए गए है। 200/— रूपये की राशि किस रसीद से वसूली गई, कहीं अंकित नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में प्रदत नियमों की पालना नहीं कर जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थिया के पट्टा सुदा निर्मित मकान के पश्चिम में अप्रार्थिया का प्लॉट जिस पर निर्माण कार्य किया है। दोनों के मध्य खालसा गली थी, जो प्रार्थिया की वसीयतकर्ता भंवरलाल के प्लॉट के पश्चिम के पड़ौस में अंकित है, जो पत्रावली संलग्न पट्टे की फोटो प्रति से स्पष्ट है। इस प्लॉट की मून्नीदेवी वर्तमान में बहैसियत वसीयतकर्ता के स्वामीनी है, जबकि प्रार्थिया के नाम जारी पट्टे के पूर्व में भंवरलाल जी राव का मकान दर्शाया हुआ है। भंवरलाल को पट्टा 1973 में जारी किया गया था तथा अप्रार्थिया को पट्टा 2009 में जारी किया गया, इससे स्पष्ट है कि दोनों के मध्य पूर्व में खालसा गली थी तथा उसी खालसा गली में भंवरलाल के मकान के रोशनदान रखे हुए है, जो प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट है। उस गली को मिलाकर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया है तथा उक्त रोशनदान अप्रार्थिया द्वारा निर्मित मकान से बंद होते है अर्थात बीच में गली नहीं है। खालसा गली का भी इस प्रकार से पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया है, जो विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थिया द्वारा खालसा गली के पास अपनी पट्टा सुदा जमीन भी छोडना बताया है, जिससे उसकी दक्षिण भुजा पूर्व से पश्चिम तक 62 फिट नहीं होकर 4 फिट कम है। उसका पट्टा भी अप्रार्थिया के नाम का ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया गया है। जो यथावत रखा जाने योग्य नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर जैर निगरानी मिसल संख्या 160/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2009 तथा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 06.08.2009 तथा उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक ..... को अपास्त किया जाकर, प्रकरण ग्राम पंचायत केसूली को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थिया व प्रार्थिया के पट्टा आराजी की जांच कर उनके दोनों के मध्य खालसा गली तथा प्रार्थिया की पट्टा भूमि को मुक्त रखते हुए शेष भूमि जो अप्रार्थिया के पुश्तैनी कब्जासुदा तथा हक की है, उसी का विक्रय विलेख बाद नाप चौक जारी किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत केसूली को रेकर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25-11-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)